



राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद RAJASTHAN MEDICAL COUNCIL

सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001(राज0)

Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001(Raj.)

Visit us at:-rmcjaipur.org दूरभाष / Phone No. -0141-2225102, 2221734 ई-मेल / E-mail:- rajmedcouncil@yahoo.in

दिनांक 13/06/2024

क्रमांक.-आर.एम.सी / लीगल / 2024 / 6395

श्री रणजीत महला, एडवोकेट,
पुष्पा अपार्टमेंट, बापू नगर,
जयपुर (राज0)

शिकायतकर्ता

बनाम

डॉ. गणपत सिंह चौधरी पुत्र श्री सुरजमल चौधरी,
वार्ड नं. 05, खादी बाग रोड,
गोरो का कुंआ, आनन्द नगर,
चौमू, जयपुर (राज0)

परिवादी

आदेश

1.Dr. Ravi Prakash Mathur	President
2.Dr. Rajesh Kumar Sharma	Registrar/Secretary
3.Dr. Subhash Nepalia	Member
4.Dr. Deepak Gupta	Member
5.Dr. Shri kant Sharma	Member
6.Dr. Kushal Babu Gehlot	Member
7.Dr. V.B. Singh	Member
8.Dr. Deepak Kumar Mathur	Member
9.Dr. Deepak Sharma	Member
10.Dr. Sanjeev Buri	Member
11. Dr. Raj Kumar Rathore	Member
12.Dr. Pramod Tiwari	Member
13.Dr. Ram Ratan	Member
14.Dr. Ramesh Chand Sharma	Member
15.Dr. Shaishav Somani	Member
16.Dr. Anoop Singh Gurjar	Member
17.Dr. Rahul Chandel	Member
18.Dr. Vinod Joshi	Member
19.Dr. Ghanshyam Singh Rathore	Member
20.Dr. Deepak Kumar Dubey	Member
21.Dr. Shrawan Kumar Meena	Member

श्री रणजीत सिंह महला (एडवोकेट) पुत्र श्री महेन्द्र कुमार महला, 301 पुष्पा अपार्टमेंट बापू नगर जयपुर ने दिनांक 09.05.2023 को परिषद कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डॉ. गणपत सिंह चौधरी जिनका राजस्थान मेडिकल कौंसिल में पंजीयन संख्या 34056 दिनांक 26.03.2014 है, के दरतावेजो की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन किया जिस पर डॉ. गणपत सिंह चौधरी द्वारा असहमति व्यक्त करने पर वांछित सूचना आवेदनकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई।



श्री रणजीत सिंह महला (एडवोकेट) ने पुनः दिनांक 24.07.2023 को परिषद कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डॉ. गणपत सिंह चौधरी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन कराने की जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली द्वारा स्थापित नियमानुसार Foreign Medical Graduate Student को यदि वे भारत वर्ष में Practice करना चाहते हैं तो उन्हें प्रथमतः National Board of Examination New Dehli द्वारा आयोजित Screening Test उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है एवं उक्त Screening Test उत्तीर्ण करने के पश्चात ही अभ्यार्थी किसी भी राज्य की मेडिकल कौंसिल में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। डॉ. गणपत सिंह चौधरी पुत्र श्री सुरजमल चौधरी, जन्म तिथि 02.07.1985, निवासी-वार्ड न. 5, खादी बाग रोड, गौरो का चौक, आनन्द नगर, चौमू, जिला-जयपुर ने OSH State Medical University, Republic of Kyrgyzstan से M.D. Physician (Equivalent to M.B.B.S) परीक्षा वर्ष 2011 में उत्तीर्ण की है।

डॉ. गणपत सिंह चौधरी ने राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर में पंजीयन करवाने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ National Board of Examination New Dehli (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) नई दिल्ली द्वारा आयोजित Screening Test का परिणाम का प्रमाण पत्र क्रमांक FMGE/SEP-11/NBE/1943/48181 Dated October 03rd /2,2011 संलग्न किया जिसमें दिनांक 25 सितम्बर 2011 को आयोजित Screening Test में डॉ. गणपत सिंह चौधरी को आवंटित रोल न. क्रमांक 11206615 में उन्हें 300 में से 172 अंकों के साथ उत्तीर्ण घोषित किया गया साथ ही नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल, मोहन नगर, गाजियाबाद में नियमानुसार Compulsory Rotatory Internship Training दिनांक 14.10.2011 से 14.10.2012 का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है। डॉ. गणपत सिंह चौधरी ने MCI-New Dehli में दिनांक 22.12.2012 को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक MCI/12-46377 भी संलग्न किया।

परिषद कार्यालय में डॉ. गणपत सिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का MCI-New Dehli से सत्यापन कराने पर MCI के पत्रांक MCI-207(1)/2013-ZMR/63998 दिनांक 18.03.2014 द्वारा डॉ. गणपत सिंह चौधरी का पंजीयन क्रमांक 12/46377 दिनांक 22.12.2012 की पुष्टि की गई। उक्त के आधार पर परिषद कार्यालय द्वारा डॉ. गणपत सिंह चौधरी का स्थाई पंजीयन क्रमांक 34056 दिनांक 26.03.2014 द्वारा किया गया जिसकी वैधता 25.03.2024 तक थी।

परिषद कार्यालय के पत्रांक आरएमसी/लीगल/2023/3011 दिनांक 17.08.2023 द्वारा डॉ. गणपत सिंह चौधरी को उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत के तहत उनके M.B.B.S व FMG Screening Test उत्तीर्ण करने से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित दिनांक 24.08.2023 को परिषद कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया, किन्तु डॉ. गणपत सिंह चौधरी निर्धारित तिथि का उपस्थित नहीं हुए जिसके क्रम में स्मरण पत्र क्रमांक आरएमसी/2023/3202 दिनांक 05.09.2023 जारी कर पुनः दिनांक 15.09.2023 को परिषद कार्यालय में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया, किन्तु डॉ. गणपत सिंह चौधरी निर्धारित तिथि को भी उपस्थित नहीं हुए। परिषद कार्यालय के द्वितीय स्मरण पत्र क्रमांक 3616 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा पुनः डॉ. गणपत सिंह चौधरी को दिनांक 27.09.2023 को परिषद कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया किन्तु डॉ. गणपत सिंह चौधरी फिर भी उपस्थित नहीं हुए। परिषद कार्यालय के पत्रांक आरएमसी/2024/6111 दिनांक 21.03.2024 द्वारा पुनः डॉ. गणपत सिंह चौधरी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र प्राप्ति के 10 दिवस में परिषद कार्यालय में मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होने हेतु पुनः निर्देशित किया किन्तु फिर भी डॉ. गणपत सिंह चौधरी परिषद कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। पुनः पत्रांक 6251 दिनांक 08.04.2024 द्वारा डॉ. गणपत सिंह चौधरी को पत्र प्राप्ति के 3 दिवस में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु इस बार भी डॉ. गणपत सिंह चौधरी उपस्थित नहीं हुए।

परिषद कार्यालय के पत्रांक आरएमसी/2024/6160 दिनांक 27.03.2024 द्वारा श्रीमान सचिव NMC New Dehli को डॉ. गणपत सिंह चौधरी के प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रकरण की वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया एवं पुनः स्मरण पत्र क्रमांक आरएमसी/विधि/2024/6252 दिनांक 08.04.2024 द्वारा

पुनः निवेदन किया गया एवं पत्रांक आरएमसी / 2024 / 6438 दिनांक 30.04.2024 द्वारा द्वितीय स्मरण पत्र जारी कर डॉ. गणपत सिंह चौधरी के प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निवेदन किया, एवं ई-मेल भी किया गया।

उक्त प्रकरण को राजस्थान मेडिकल कौंसिल की पीनल एण्ड ऐथिकल कमेटी की बैठक दिनांक 22.05.2024 को में रखा गया जिस पर कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रकरण को जनरल बॉडी की मीटिंग में सजा के बिन्दु पर विचार करने हेतु रखने का निर्णय लिया गया।

डॉ. गणपत सिंह चौधरी, जो कि वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत है, के प्रकरण को राजस्थान मेडिकल कौंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग दिनांक 12.06.2024 में कमेटी के सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया गया। डॉ. गणपत सिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत फर्जी एवं कूटचित दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर में पंजीयन करवाने एवं राजकीय सेवा में नियुक्ति लेने पर कमेटी के सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया कि डॉ. गणपत सिंह चौधरी के राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर में हुए स्थाई पंजीयन क्रमांक 34056 दिनांक 26.03.2014 को स्थाई रूप से **Penal Erase** किया जाए, एवं उनके नियुक्ति प्राधिकारी एवं राज्य सरकार को उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए, पुलिस विभाग में भी डॉ. गणपत सिंह चौधरी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जावे।

(डॉ. रजिेश शर्मा)

रजिस्ट्रार

राजस्थान मेडिकल कौंसिल

जयपुर

दिनांक 13/06/2024

क्रमांक:-आर.एम.सी / लीगल / 2024 / 6395

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज 1, नई दिल्ली-110077
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निदेशक जन स्वा. निदेशालय चिकित्सा एवं सेवायें राजस्थान जयपुर एवं अध्यक्ष राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) निदेशालय चिकित्सा एवं सेवायें राजस्थान जयपुर।
8. डॉ. गणपत सिंह चौधरी, वार्ड नं. 05, खादी बाग रोड़, गोरो का कुआं, आनन्द नगर, चौमू, जयपुर।
9. श्री रणजीत सिंह महला, एडवोकेट, 301, पुष्पा अपार्टमेन्ट, बापू नगर, जयपुर।
10. प्रभारी पंजीयन शाखा, राजस्थान मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
11. प्रभारी लेखानुभाग, राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर।
12. प्रभारी रिकॉर्ड को आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली प्रेषित कर लेख है कि संबंधित चिकित्सक की पत्रावली नत्थी कर रिकॉर्ड में रखें।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. राजेश शर्मा)

रजिस्ट्रार

राजस्थान मेडिकल कौंसिल

जयपुर